



उत्तराखण्ड संस्कृत विश्वविद्यालय, हरिद्वार

UTTARAKHAND SANSKRIT UNIVERSITY, HARIDWAR

बहादुराबाद, हरिद्वार-दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग,

HARIDWAR-DELHI NATIONAL HIGHWAY

पो0-बहादुराबाद (हरिद्वार) 249402

P.O. : BAHADURABAD (HARIDWAR)-249402

Website : www.usvv. ac.in

विज्ञापन संख्या-01/2024 दिनांक 13 सितम्बर, 2024

उत्तराखण्ड संस्कृत विश्वविद्यालय, हरिद्वार के द्वारा आचार्य, सह आचार्य एवं सहायक आचार्य के पदों हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। आवेदन पत्र का प्रारूप उत्तराखण्ड संस्कृत विश्वविद्यालय की वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है।

अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र समस्त संलग्नों सहित कुलसचिव, उत्तराखण्ड संस्कृत विश्वविद्यालय, हरिद्वार, दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग, बी0एच0ई0एल0 मोड़, पो0ओ0 बहादुराबाद-249402, हरिद्वार के पते पर केवल स्पीड पोस्ट/पंजीकृत डाक से निर्धारित अंतिम तिथि दिनांक 21 अक्टूबर, 2024 सांय 5:00 बजे तक प्राप्त होने चाहिए।

उक्त अन्तिम तिथि के बाद प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों को कालबाधित (Time Barred) अंकित कर वापस कर दिया जायेगा। आवेदन वाले लिफाफे के ऊपर पदनाम, विषय जिसके लिये आवेदन किया गया हो, का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाये।

आवेदन शुल्क :-

1. अनारक्षित/अन्य पिछड़ा वर्ग/EWS हेतु आवेदन शुल्क रुपये 1000/- एवं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति हेतु रुपये 750/- है।
2. आवेदन शुल्क डिमाण्ड ड्राफ्ट के माध्यम से "वित्त नियंत्रक" उत्तराखण्ड संस्कृत विश्वविद्यालय के नाम पर देय होगा।
3. बिना डिमाण्ड ड्राफ्ट के आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जायेगा।
4. आवेदन पत्र के साथ प्रेषित की गई फीस किसी भी परिस्थिति में वापस नहीं की जायेगी।

रिक्तियों की संख्या : पदवार एवं विषयवार रिक्तियों की संख्या निम्नवत् है, पदों की संख्या घट-बढ़ सकती है:-

1. सहायक आचार्य- 13 पद

क्र0 सं0	संकाय का नाम	विभाग का नाम	विषय	रिक्तियों की संख्या	अनु0जाति	अनु0ज0जाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	अनारक्षित	आर्थिक रूप से कमजोर
1	वेद वेदांग संकाय	1. ज्योतिष एवं वास्तुशास्त्र	फलित ज्योतिष	2	1	-	-	1*	-
			वास्तुशास्त्र	1	-	1	-	-	
2	दर्शन संकाय	2. व्याकरण	नव्यव्याकरण	1	1	-	-	-	-
			3. अद्वैतवेदान्त (शांकरवेदान्त)	अद्वैतवेदान्त (शांकरवेदान्त)	1	1	-	-	-
3	आधुनिक ज्ञान विज्ञान संकाय	1. भाषा एवं आधुनिक ज्ञान- विज्ञान	हिन्दी	1	-	-	-	1* (महिला)	-
			नेपाली भाषा	1	-	-	-	-	1
			भाषा विज्ञान	1	1 (महिला)	-	-	-	-
		2. योग विज्ञान (व्यावसायिक)	योग	2	1	-	1	-	-
		3. शिक्षाशास्त्र	शिक्षाशास्त्री (बी0एड0)	2	-	-	-	2*	-
4. पत्रकारिता	पत्रकारिता	1	-	-	-	1	-		
कुल योग :-				13	5	1	1	5	1

\* फलित ज्योतिष 01 पद, अनारक्षित, धारणाधिकार (Lien) के सापेक्ष विज्ञापित है।

\* हिन्दी 01 पद, उत्तराखण्ड महिला, धारणाधिकार (Lien) के सापेक्ष विज्ञापित है।

\* 01 पद ललित कलाओं एवं 01 पद स्वास्थ्य तथा शारीरिक शिक्षा हेतु विज्ञापित है।

नोट :- अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के बैकलॉग के पद है।

2. सह आचार्य-08 पद

क्र० सं०	संकाय का नाम	विभाग का नाम	विषय	रिक्तियों की संख्या	अनु०जाति	अनु०ज०जाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	अनारक्षित
1	वेद वेदांग संकाय	1. वेद एवं पौरोहित्य	शुक्लयजुर्वेद	1	-	-	-	1
		2. ज्योतिष एवं वास्तुशास्त्र	फलित ज्योतिष	2	1	-	-	1
		3. व्याकरण	नव्यव्याकरण	1	-	-	1	
2	आधुनिक ज्ञान विज्ञान संकाय	1. भाषा एवं आधुनिक ज्ञान विज्ञान	हिन्दी	1	-	-	-	1
			भाषा विज्ञान	1	1	-	-	-
		2. योग विज्ञान	योग	1	1	-	-	-
		3. पत्रकारिता	पत्रकारिता	1	-	-	-	1 (महिला)
कुल योग :-				8	3	-	1	4

3. आचार्य-05 पद

क्र० सं०	संकाय का नाम	विभाग का नाम	विषय	रिक्तियों की संख्या	अनु०जाति	अनु०ज०जाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	अनारक्षित	
1	वेद वेदांग संकाय	1. ज्योतिष	फलित ज्योतिष	1	1	-	-	-	
			2. व्याकरण	नव्यव्याकरण	1	1	-	-	-
				प्राचीन व्याकरण	1	-	-	-	1
2	साहित्य संस्कृति संकाय	1. साहित्य	साहित्य	1	-	-	1	-	
3	आधुनिक ज्ञान विज्ञान संकाय	1. योग विज्ञान	योग	1	-	-	-	1	
कुल योग :-				5	2		1	2	

नोट :-अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के बैकलॉग के पद है।

अभ्यर्थियों के लिए आवेदन पत्र भरने संबंधी अति महत्वपूर्ण निर्देश :-

1. विश्वविद्यालय में आचार्य, सह प्राफेसर एवं सहायक आचार्य की नियुक्ति हेतु यू0जी0सी0 रेगुलेशन 2018 व 2023 के अनुरूप तथा इस क्रम में उत्तराखण्ड शासन द्वारा जारी नवीनतम मानकों एवं निर्देशों का पालन किया जायेगा।
2. सभी अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर लें कि वह आवेदन पत्र जमा करने की अन्तिम तिथि से पूर्व न्यूनतम अर्हता पूर्ण करते हों। पद हेतु आवश्यक शैक्षणिक एवं अन्य योग्यता सम्बन्धी विस्तृत जानकारी यू0जी0सी0 की वेबसाइट [www.ugc.ac.in](http://www.ugc.ac.in) से प्राप्त की जा सकती है।
3. अभ्यर्थी की योग्यता उसके द्वारा आवेदन की अंतिम तिथि तक प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर मान्य होगी।
4. उक्त पदों के संदर्भ जिन्होंने पूर्व में आवेदन किया है, यदि वे इच्छुक हैं, तो पुनः आवेदन कर सकते हैं। पूर्व के आवेदन पत्र पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।
5. एक से अधिक पदों के लिए आवेदन पत्र भेजने के इच्छुक अभ्यर्थियों को प्रत्येक श्रेणी के पदों के लिए सभी प्रकार से पूर्ण आवेदन पत्र पृथक-पृथक भेजना होगा। किसी भी परिस्थिति में एक से अधिक आवेदन पत्र एक लिफाफे में न भेजे। आवेदन पत्र के साथ सभी आवश्यक पत्र मजबूती के साथ संलग्न करके प्रेषित करें अन्यथा संलग्नकों की अनुपस्थिति में आवेदन पत्र निरस्त किया जायेगा।
6. जो आवेदक पूर्व से ही सरकारी सेवा में हैं, वे अपने आवेदन उचित-माध्यम/अनापत्ति प्रमाण पत्र के साथ भेजें, तथापि आवेदन पत्र की अग्रिम प्रति प्रेषित कर सकते हैं।
7. आवेदन की अन्तिम तिथि के पश्चात् प्राप्त होने वाले आवेदन पत्र अस्वीकृत किए जायेंगे। अस्वीकृति के विरुद्ध पुनर्विचार नहीं किया जायेगा।
8. सभी शैक्षणिक पदों हेतु उत्तम शैक्षिक अभिलेख समकक्ष स्तर की परीक्षाएँ द्वितीय श्रेणी (न्यूनतम 45 अंक) स्नातक उपाधि में न्यूनतम 50 प्रतिशत प्राप्तांक तथा मास्टर डिग्री में यू0जी0सी0 के द्वारा निर्धारित पात्रता मानदण्ड के अनुसार उत्तीर्ण की हो। सहायक प्रोफेसर हेतु नेट/स्लेट/सेट अनिवार्य अर्हता है। ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने पी-एच.डी. यू0जी0सी0 विनियम 2009 के अनुसार की है, उनको नेट/स्लेट/सेट की उक्त पात्रता से छूट होगी।
9. निर्धारित अनिवार्य योग्यताएं न्यूनतम हैं और केवल इन योग्यताओं के होने से ही उम्मीदवार साक्षात्कार हेतु बुलाये जाने के हकदार नहीं हो जाते। आवेदन पत्रों की संख्या अधिक होने पर विश्वविद्यालय द्वारा प्राप्त आवेदन पत्रों की छटनी, जॉच समिति/स्कूटनी द्वारा की जाएगी तथा पदों के सापेक्ष (जितनी संख्या विश्वविद्यालय द्वारा अवधारित होगी) अल्पसूचीबद्ध चयनित अभ्यर्थियों को ही साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किया जायेगा।
10. साक्षात्कार के लिए बुलाए जाने पर कोई यात्रा/दैनिक भत्ता देय नहीं होगा।
11. साक्षात्कार के समय अभ्यर्थियों को अनिवार्य शैक्षिक योग्यता एवं अनुभव से सम्बन्धित सभी प्रमाण पत्र मूल रूप से प्रस्तुत करने होंगे।
12. प्रमाण पत्रों की प्रतिलिपियां स्वहस्ताक्षरित होनी चाहिए।
13. ए0पी0आई0 स्कोर की गणना यू0जी0सी0 के नियमानुसार की जायेगी।
14. अन्य प्रलेख यदि आप उत्तराखण्ड राज्य की अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग अथवा उत्तराखण्ड महिला या अन्य किसी वर्ग के आरक्षण का दावा करते हैं तो उसके लिए पुनरीक्षित एवं अन्तिम नवीनतम प्रपत्र पर जिस जिले के आप निवासी हो वहाँ के जिलाधिकारी/अतिरिक्त जिलाधीश/सिटी मजिस्ट्रेट अथवा तहसीलदार के हस्ताक्षर का प्रमाण दें, तभी आपका दावा मान्य होगा।
15. क्षैतिज आरक्षण उत्तराखण्ड के नवीन शासनादेशों के अनुसार लागू होगा।
16. आरक्षण का लाभ उत्तराखण्ड के मूल/स्थायी निवासियों को ही मिलेगा।
17. ऐसे अभ्यर्थी पात्र नहीं होंगे जिनकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हो, या महिला जिसने ऐसे पुरुष से विवाह किया हो जिसकी पहले से पत्नी हो।

18. इस तथ्य की पुष्टि होने पर कि किसी अभ्यर्थी ने प्रतिरूपण (Impersonation) किया है या जानबूझ कर एक या अधिक जाली प्रलेख प्रस्तुत किए हैं अथवा ऐसे प्रलेख दिए हैं, जिनमें काट पीट कर परिवर्तन किया गया है या जानबूझकर गलत या असत्य विवरण दिया है अथवा महत्वपूर्ण सूचना छिपा ली है या किसी स्तर पर अनुचित साधन का प्रयोग किया है तो वह अभ्यर्थी अपात्र ठहराया जायेगा और उसके ऊपर अभियोग चलाने के अतिरिक्त विश्वविद्यालय द्वारा लिए जाने वाले निर्णय के अधीन:—
  - विश्वविद्यालय द्वारा भर्ती किए जाने वाले किसी पद हेतु आवेदन करने या साक्षात्कार में उपस्थित होने से वंचित किया जा सकता है।
  - नियुक्ति से वंचित किया जा सकता है और यदि नियुक्ति हो गई हो तो पदच्युत (Dismiss) किया जा सकता है।
19. यदि अभ्यर्थी को स्नातक/स्नातकोत्तर/एम.फिल./डॉक्टरेट इत्यादि उपाधियों में उसके द्वारा प्राप्त उच्चतम उपाधि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा अनुमोदित किसी विश्वविद्यालय से प्रदान नहीं की गई है अथवा उसकी उपाधि के समतुल्य नहीं मानी गई है। ऐसी स्थिति में वह उपाधि विश्वविद्यालय द्वारा साधारणतया मान्य नहीं होगी। उसकी मान्यता पर विश्वविद्यालय द्वारा तभी विचार किया जा सकेगा जबकि अभ्यर्थी संबंधित तथ्य विश्वविद्यालय के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत करें।
20. विश्वविद्यालय को यह अधिकार होगा कि बिना कोई कारण बताए विज्ञापित पदों में किन्हीं पदों के संबंध में नियुक्ति हेतु संस्तुति न करें/अथवा विज्ञप्ति के निरस्त करने का भी अधिकार विश्वविद्यालय को होगा।
21. चयन प्रक्रिया में स्क्रीनिंग टेस्ट/प्रस्तुतिकरण/साक्षात्कार/शिक्षण प्रस्तुतिकरण आदि को शामिल करने के लिए विश्वविद्यालय स्वतंत्र है।
22. चयन समिति की संस्तुति के बाद उत्तराखण्ड संस्कृत विश्वविद्यालय सम्बन्धित आवेदक के पते को पुलिस सत्यापन एवं प्रमाणपत्रों की जांच कराने के लिए स्वतंत्र होगा।
23. किसी भी आवेदक के पात्र न पाए जाने पर विश्वविद्यालय सम्बन्धित पद/पदों को रिक्त रख सकता है।
24. विश्वविद्यालय सेवा सम्बन्धी शर्तों/नियमों में किसी भी स्तर पर बदलाव करने में सक्षम है।
25. आवेदक का संस्कृत विश्वविद्यालय की परम्पराओं/मूल्यों में आस्था होना आवश्यक है।
26. यदि आवेदक ने ऐसे विश्वविद्यालय से एम.फिल./शोध उपाधि प्राप्त की है, जिसकी डिग्री में शोध शीर्षक एवं विषय अंकित नहीं होता है तो ऐसे आवेदक को संबंधित विश्वविद्यालय के कुलसचिव से शीर्षक एवं विषय के बारे में प्रमाणपत्र देना होगा।
27. आवेदन मूल रूप में प्रस्तुत किया जाए, उसकी छायाप्रति स्वीकार नहीं की जाएगी।
28. आवेदन पत्र के बाद अलग से प्रेषित किए जाने वाले प्रपत्रों/अभिलेखों को स्वीकार नहीं किया जाएगा।
29. समस्त संलग्न प्रमाणपत्रों/अभिलेखों को क्रमांक प्रदान करें तथा अंतिम संलग्नक पर क्रमांक सहित आवेदन पत्र के साथ कुल संलग्नकों की संख्या को अवश्य लिखें।
30. प्रत्येक अभ्यर्थी का मानसिक एवं शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए एवं उसे आवश्यकता पड़ने पर संबंधित नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा अभिप्रेत चिकित्सकीय परीक्षण के लिए चिकित्साधिकारी को संतुष्ट करने के लिए तत्पर रहना होगा। ऐसा न करने पर उसका चयन निरस्त किया जा सकता है।
31. किसी भी प्रकार की सिफारिश करने या कराने पर अभ्यर्थी अविलम्ब अपात्र ठहराया जायेगा।
32. अभ्यर्थी उक्त विज्ञापन से संदर्भित अद्यतन सूचनाओं के संबंध में समय-समय पर विश्वविद्यालय की वेबसाइट का अवलोकन करते रहे, पृथक् से किसी अभ्यर्थी को सूचना डाक के माध्यम से प्रेषित नहीं की जायेगी।
33. क्षेत्रीय आरक्षण उत्तराखण्ड महिला के सापेक्ष उपयुक्त अभ्यर्थी न मिलने पर अनारक्षित पुरुष से भरा जा सकता है।
34. धारणाधिकार (Lien) के सापेक्ष भरे जाने वाले पदों पर यदि धारणाधिकार (Lien) वाले शिक्षक वापस मूल पद पर कार्यभार ग्रहण करते हैं तो उन पदों के सापेक्ष नियुक्त शिक्षकों की सेवायें तत्काल प्रभाव से स्वतः समाप्त हो जायेंगी।